12/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी। प्रार्थी की बार-बार कहने पर न्यायालय समय से न्यायालय समाप्ति तक आपसी समझौते नहीं होने से उपस्थित नहीं। प्रार्थी की पैरवी नहीं उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अग्रिम सुनवाई अतुरा पैरवी में लापरवाही लगता है।

पत्रावली पर मार्च के लापरवाही पैरवी शुमार होकर पत्रावली निरस्त आदेशार्थ 19/02/25 को खुले न्यायालय पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम